

उपखण्ड अ.  
रूपनगढ़ (अजमेर)

9-1-85 फावली पेश दुई प्रतिवादी सं. 6 (पैम) उपस्थित।  
प्रतिवादी सं. 6 ने प्रतिवादा नोट प्रेस में खारिज  
करने बाबत प्रार्थना - पत्र पेश किया। प्रस्तुत

प्रीति

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर


ग्याबसी

बनाम

कोशाल्या

किस्म मुकदमा :- 88,53,188 A-T-A च

नंबर 250 वर्ष 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थना- पत्र अनुसार प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रतिदावा पर आगे कार्यवाही नहीं चालना जाहिर किया गया। प्रतिवादी सं. 6 ने पहचानस्वरूप आधार कार्ड सं. 7316 0403 5662 की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 6 की पहचान वादी सं. 1 (ग्याबसी) द्वारा की गयी।</p> <p>उस्तुत प्रार्थना- पत्र का अवलोकन किया एवं प्रतिवादी सं. 6 को सुना। तदनुसार प्रतिवादी सं. 6 का प्रतिदावा नोटिफिकेशन में खारिज किया जात है। फावली फेसल मुसाफ होकर नंबर से कम हो गये।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  रूपनगढ़ (अजमेर) </p>	<p>जावाब</p> <p>8</p> <p>कोशाल्या</p>